an>

Title: Election of one Member from Lok Sabha to Committee on Public Undertakings.

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312 ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से श्रीमती कृष्णा राज के मंत्री के रूप में नियुक्त होने के कारण उनके स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए उक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे। "

HON. SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 312B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from amongst themselves to serve as a member of the Committee on Public Undertakings for the unexpired portion of the term of the committee *vice* Smt. Krishna Raj appointed as Minister. "

The motion was adopted.